कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)

सतपुड़ा भवन, म0प्र0 भोपाल
Tel. (Office)2674212,(Fax) 2551450,Email:apcfprot@mp.gov.in

क्रमांक / वन अपराध / 2017 / 1023 भोपाल, दिनांक / 21 / 03 / 2017

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,(क्षेत्रीय) / क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय उद्यान / क्षेत्रीय प्रबंधक म0प्र0 वन विकास निगम मध्यप्रदेश

विषयः– अतिक्रमण निरोधी अभियान बाबत् ।

मध्यप्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण एक अत्यंत गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। वनमण्डलों की कार्य आयोजनाओं में वन कक्षों के सन्निधि मानचित्रण में अंकित अतिक्रमण तथा क्षेत्रीय वनमण्डलों में वन अपराध के रूप में दर्ज प्रकरणों के आधार पर अतिक्रमित रकबे में भारी अंतर पाया गया है। वनमण्डलों की पुनरीक्षण की जा रही कार्य आयोजनाओं में अतिक्रमित वन भूमि के रकबे मे पूर्व से प्रचलित कार्य आयोजनाओं में अतिक्रमित वनभूमि रकबे की तुलना में लगातार वृद्धि पाई जा रही है जो कि दर्शाता है कि क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों का अतिक्रमण के प्रकरणों पर समुचित नियंत्रण नहीं है तथा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही का भी अभाव परिलक्षित होता है। **आपके वृत्त में वनमण्डलवार प्रचलित कार्य आयोजनाओं में दर्शित अतिक्रमण की स्थिति परिशिष्ट–1 में संलग्न है।**

वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में म0प्र0 शासन एवं राज्य वन मुख्यालय द्वारा समय–समय पर सुस्पष्ट निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्देशो के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. वन भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम हेतु मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव, वन विभाग के पत्र क्रमांक / 365 / मु.स. / 2000 दिनांक 22 अगस्त, 2000 एवं वन विभाग के पत्र क्रमांक / 3080 / 301 / सीएस / 2004 / फारेस्ट दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति वनक्षेत्रों में अवैध कटाई एवं अतिक्रमण के मामलों की प्रतिमाह समीक्षा करेगी, ताकि ऐसे व्यक्तियों को शासकीय अनुदान / सहायता देने में हतोत्साहित किये जाने के अतिरिक्त न्यायालय में दण्ड दिलाया जाये। वन अपराध की रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जावे। जिला स्तरीय टास्कफोर्स की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में संभागीय स्तर पर की जाकर उसका प्रतिवेदन प्रमुख सचिव, वन को उपलब्ध कराया जाये।

2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन भूमि से बेदखली के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 25 / 83 / 10–3 / 2004 दिनांक 21.01.2008, क्रमांक / एफ 25 / 43 / 06 / 10–3 दिनांक 25.09. 2009 द्वारा निर्देश दिये थे कि ऐसे अतिक्रामक जिन्हें दिनांक 31.12.2007 के पूर्व बेदखल किया

जा चुका हैं, उन्हें पुनः अतिक्रमण न करने दिया जावे तथा नये अतिक्रमण के समस्त प्रभावों को निष्प्रभावी किया जाये। साथ ही दिनांक 13.12.2005 के पूर्व के काबिज अतिक्रामकों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही उनके अधिकारों के सत्यापन तथा मान्यता की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर अपात्र पाये जाने उपरांत ही की जावे।

मध्यप्रदेश शासन के उपरोक्त निर्देशों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों के मन में कई प्रकार की भ्रांतिया हो सकती है,अतः शासन द्वारा जारी उपरोक्त ज्ञापनों का परीक्षण कर स्पष्ट किया जाता है कि:—

I. *दिनांक 13.12.2005 के पश्चात् के सभी अतिक्रामकों को हटाया जाना है। (दिनांक 13.12.2005 के पश्चात् के अतिक्रमण ज्ञात करने हेतु–i- विभाग द्वारा बीट जांच की प्रक्रिया प्रचलित है, जिसमें बीट जांचकर्ता द्वारा बीट जांच प्रतिवेदन में अतिक्रमण का लेख किये जाने का प्रावधान है। ii. इसी प्रकार कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा स्टाक मैपिंग के समय वनमण्डल के नक्शों पर अतिक्रमण दर्ज किया जाता है। iii. सैटेलाइट इमेजरी से भी अतिक्रमण का वर्ष ज्ञात किया जा सकता है)*

II. *ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्हें वन अधिकार समिति ने अपात्र पाया है, उन्हें भी हटाया जाना है साथ ही वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा पेश नहीं किया गया उनको भी हटाया जाना है ।*

III. *वन भूमि पर अधिकार की अतिक्रामकों की पात्रता अथवा बेदखली की कार्यवाही लंबित रखने के लिये (गैर आदिवासी समुदाय हेतु दिनांक 24.10.1980 के पूर्व के पात्र अतिक्रमण, राजस्व विभाग द्वारा पट्टा, आदिवासी समुदाय हेतु दिनांक 13.12.2005 के पूर्व का कब्जा, वन अधिकार समिति के समक्ष आवेदन लंबित) के संबंध में जानकारी अतिक्रामक को विभाग को देनी होगी। अतः वन भूमि से बेदखली की कार्यवाही 80 अ की नोटिस इस आधार पर स्थगित न रखी जावे कि वनमण्डल में यह जानकारी नहीं है कि कौन–कौन से अतिक्रामकों के प्रकरण वन अधिकार समिति के पास लंबित हैं।*

3. वन भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1432 दिनांक 21.06.1999, क्रमांक 4508 दिनांक 18.11.2015 एवं क्रमांक 2818 दिनांक 06.06.2016 के माध्यम से समय–समय पर निर्देश जारी किये गये कि अतिक्रमण के प्रयास होने पर तत्काल संज्ञान लेकर एवं कार्यवाही कर अतिक्रमण को विफल किया जावे, एक ही भूमि पर विभिन्न वर्षो में दर्ज अपराध को अलग–अलग अपराध माना जाये तथा पुनः अतिक्रमण करने या प्रथम बार अतिक्रमित क्षेत्रों में वन अपराध का संज्ञान नये अपराध के रूप में ही लिया जाकर पी.ओ.आर. जारी किया जावे, जिसमें यह अवश्य लिखा जावे कि अतिक्रमण के अंतर्गत मकान बनाया गया है या खेती की गई है या दोनों की गई है।

4. वन भूमि पर अतिक्रमण को नियंत्रित करने के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1773 दिनांक 31.05.2008, क्रमांक 2933 दिनांक 04.09.2008, क्रमांक 6329 दिनांक 17.12.14, क्रमांक 1728 दिनांक 08.05.15, क्रमांक 2042 दिनांक 29.05.15 एवं क्रमांक 4155 दिनांक 12.10.15 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि:—

(क) सभी क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में दौरा कर वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरणों का संज्ञान लें तथा दुर्घटनायें होने से पूर्व ही रोकने की व्यवस्था करें, जिस हेतु वन चौकियों को भी जागृत किया जावे। शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(ख) वार्षिक वनसुरक्षा योजना को प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से तैयार कराया जावेगा तथा उसे अनुमोदित

कर विधिवत् संसूचित किया जावेगा। उक्त वार्षिक वन सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतू की गई कार्यवाही के विषय में उनके वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी मतांकन किया जायेगा।

(ग) क्षेत्रीय वनमण्डलों के वनसंरक्षक/वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपने चार्ज नोट में वनअपराधों विशेषकर अतिक्रमण से संबंधित जानकारी भारमुक्ति प्रतिवेदन में लेख किया जावे।

अतिक्रमण निरोधी अभियान

हर वर्ष कृषि के लिए वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जाता है। अतः इस वर्ष वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के पूर्व से ही सम्भावित अतिक्रमणों की प्रभावी रोकथाम के लिए अतिक्रमण निरोधी अभियान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 13–14 फरवरी 2017 को भोपाल में आयोजित मुख्य वन संरक्षक सम्मेलन में भी उक्त अभियान के विषय में विस्तृत चर्चा की गई थी। अतः शासन एवं विभागीय प्रचलित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में **अतिक्रमण निरोधी अभियान** के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

1. वन भूमि पर अतिक्रमण की अद्यतन स्थिति तथा अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सतत रूप से किया जाना आवश्यक है। अतः वनभूमि पर अतिक्रमण का कक्षवार अभिलेख परिक्षेत्र स्तर पर (प्रपत्र–EN-1 एवं EN-1(अ)) बीटवार अभिलेख वन मण्डल स्तर पर (प्रपत्र–EN-2 एवं EN-2(अ)), परिक्षेत्रवार अभिलेख वन वृत्तस्तर पर (प्रपत्र–EN-3 एवं EN-3(अ)) तथा वन मण्डलवार अभिलेख मुख्यालय स्तर पर (प्रपत्र–EN-4 एवं EN-4(अ)) संधारण किया जायेगा। इस हेतु निर्धारित प्रपत्रों का प्रारूप संलग्न है। उक्त प्रारूपों में जानकारी वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में (31 मार्च/30 जून/30 सितम्बर/31 दिसम्बर की स्थिति में) विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में संधारित की जायेगी ।

   प्रपत्र भरते समय निम्नानुसार सावधानियॉ बरती जाये :–

(A) प्रपत्र EN-1 से EN-3 अतिक्रमण की स्थिति

- i- वर्ष 2017 का प्रथम प्रतिवेदन 31 मार्च की स्थिति में तैयार किया जायेगा ।
- ii- सभी प्रपत्रों में अतिकामकों की जानकारी वर्गवार दी जाना है यथा आदिवासी अथवा गैर आदिवासी ।
- iii- प्रपत्र–EN-1 से EN-3 में कालम क्रमांक 5 एवं 6 में सभी प्रकार के अतिक्रमण की जानकार दी जाना है। भले ही उनको वनाधिकार पत्र प्रदाय किया जा चुका है (देखे कालम 7 एवं 8) अथवा इस हेतु कार्यवाही प्रचलित हो (देखे कालम 11 एवं 12) इसी प्रकार 24.10.1980 के पूर्व के पात्र अतिकामकों को भी शामिल किया जाना है (देखे कालम 9 एवं 10) अर्थात

कॉलम 5 एवं 6 में सभी प्रकार के अतिक्रमणों को शामिल करते हुये जानकारी दी जाना है।

iv- प्रत्येक त्रैमास की जानकारी बनाते समय विगत त्रैमास के कालम 5–6 में दर्शित आकड़ों में से उक्त त्रैमास की अवधि में हटाये गये अतिक्रमणों को घटाया जावे, यदि नये अतिक्रमण हो तो उनको जोड़ा जावे, तदुपरान्त कॉलम 5 एवं 6 की जानकारी में इन्द्राज की जावे।

v- वर्ष 2017 में 31 मार्च की स्थिति में तैयार किया जाने वाला प्रारूप प्रपत्र उदाहरणार्थ पत्र के साथ संलग्न हैं। इसी प्रकार वर्ष 2017 में 30.06.2017 की स्थिति में तैयार किये जाने वाले प्रपत्र के कॉलम न 5 एवं 6 में *"कुल अतिक्रमण 30.06.2017 की स्थिति में"*, कालम न 7–8 में *"अतिकामक जिनकों 30.06.2017 की स्थिति में वनाधिकार पत्र दिया गया"* कॉलम न 13–14 में *"30.06.2017 की स्थिति में अपात्र अतिकामक जिनको बेदखल किया जाना है"*तथा वर्ष के शेष प्रतिवेदनों में भी इसी प्रकार जानकारी संधारित की जायेगी ।

(B) प्रपत्र EN-1 (अ) से EN-3 (अ) अतिकमण हटाने हेतु की गई कार्यवाही की प्रगति

i- वर्ष 2017 का प्रथम प्रतिवेदन 30 जून की स्थिति में तैयार किया जायेगा।

ii- कालम 5–6 में दर्शित अतिकामकों में से कितने अतिकामकों के विरूद्ध में धारा 80अ के अंतर्गत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया हैं इसकी जानकारी कॉलम 7–8 में दी जावेगी। कालम 7–8 में दर्शित अतिकामकों मे से कितने अतिकामकों के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया है इसकी जानकारी कालम न 9–10 में दी जायेगी। कालम 9–10 में दर्शित अतिकामकों जिनके विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित किये गये उनमें से कितने अतिकामकों को बेदखल किया गया इसकी जानकारी कालम 11–12 में दी जायेगी।

iii- वर्ष 2017 में 30 जून की स्थिति में तैयार किया जाने वाला प्रारूप प्रपत्र उदाहरणार्थ पत्र के साथ संलग्न हैं। वर्ष 2017 में 30/09/2017 की स्थिति में तैयार किये जाने वाले प्रपत्र के कालम न 5–6 में *"30/06/2017 की स्थिति में अपात्र अतिकामक जिनको बेदखल किया जाना है। (देखे 30 जून की स्थिति में EN-1 का कालम 13 एवं 14)", कालम न 13–14 में " त्रैमास के अंत में (30/09/2017) की स्थिति में बेदखली हेतु शेष"* इन्द्राज किया जायेगा ।

2. बीट निरीक्षण प्रतिवेदन में कक्षवार अतिकमण की स्थिति एवं की गई कार्यवाही का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाये

3. क्षेत्रीय अधिकारी अतिकमण बेदखली हेतु विधि अनुसार सक्षम स्तर पर सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित करे एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाही की त्रैमासिक समीक्षा नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाये ।

4. अतिक्रमण की रोकथाम एवं बेदखली की कार्यवाही में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे, जिन सयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा उक्त कार्य में सहयोग किया जाता है उन्हे वनमण्डल स्तर, वृत्त स्तर एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जावे।

5. ऐसी समितियों जो अतिक्रमण रोकथाम के प्रति उदासीन है तथा उनके क्षेत्र में अतिक्रमण में भविष्य में वृद्धि होती है। इस आधार पर भी समितियों के कार्यो का मूल्यांकन किया जाये ।

6. टास्कफोर्स की बैठकों में वन भूमि अतिकमण बेदखली की कार्यवाही का स्थाई रूप से ऐजेण्डा में शामिल किया जाये। प्रकरणों की गंभीरता के आधार पर सम्भाग स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा लिये गये निर्णयों के आधार पर राज्य स्तरीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा ।

7. विभिन्न वर्षो के उपलब्ध उपग्रह चित्रों की सहायता से वनखण्डों में अतिकमण की स्थिति की समीक्षा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सतत की जाये उक्त कार्य हेतु सूचना प्रोद्योगिकी शाखा से डाटा एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जांयेगी । इस कार्य हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रोद्योगिकी) से सम्पर्क किया जाये ।

8. अतिक्रमण बेदखली हेतु कार्यवाही के दौरान यह भी स्थिति निर्मित हो सकती है कि प्रश्नाधिन भूमि में वनखण्डों में सम्मिलित निजी भूमि है वन राजस्व जिसे वनखण्ड के रकबे में त्रुटिपूर्ण ढंग से सम्मिलित कर लिया गया है। निजी भूमि को वनखण्ड के रकबे में न सम्मिलित किया जाये एवं उक्त भूमि को अतिक्रमण न माना जावे ।

9. कतिपय वन खण्ड के अस्पष्ट अथवा त्रुटिपूर्ण सीमांकन/राजस्व अभिलेखों में वन भूमि इंद्राज न होने के कारण विवाद की स्थिति है। इसके संबंध में ऐसे वनखण्डों का प्राथमिकता के आधार पर निश्चित समय सीमा में सीमा चिन्हों का सत्यापन किया जाये तथा सूचना प्रोद्योगिकी शाखा के सहयोग से आवश्यकतानुसार वन खण्ड की सहीं सीमाओं का निर्धारण किया जायेगा। (इस कार्य हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रोद्योगिकी) से सम्पर्क किया जाये) उक्त कार्य 31 मई 2017 तक पूर्ण कर लिया जाये। वनभूमि का राजस्व अभिलेखों/नक्शों में इन्द्राज तथा, राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि पर त्रुटिपूर्ण जारी पट्टों का निरस्तीकरण हेतु विशेष प्रयास किये जाये तथा उक्त विषय कलेक्टर की टी.एल. बैठक हेतु स्थाई ऐजेन्डा में शामिल किया जाये ।

10. वन अधिकार धारकों के द्वारा आवंटित वन भूमि का मौके पर मेढ़ बंदी/पत्थर से चिन्हाकन/सीमाओं पर वृक्षारोपण किया जाकर सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्ताव रखकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। ऐसे स्थानों पर जहॉ पर वनखण्ड का एक बड़ा भाग एक ही चक (>10 हेक्ट.) में

वनाधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ऐसे क्षेत्रों का मिनी मुनारों द्वारा विभागीय सीमांकन हेतु प्रस्ताव प्राकलन सहित मुख्यालय को 31 मार्च 2017 तक प्रेषित करे ।

11. संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पूर्व में अतिक्रमण के प्रयासों को विफल किया गया अथवा बेदखली की कार्यवाही की गई हो ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित किया जाकर भूमि का वन के रूप में पुनर्स्थापना हेतु प्रोजेक्ट मुख्यालय को 30 अप्रेल 2017 तक प्रेषित करे ।

अतिक्रमण निरोधी अभियान के अंतर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाये। समस्त बिन्दुओ (बिन्दु कमांक 1 से 11) पर पालन प्रतिवेदन बिन्दुवार प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च/30 जून/30 सितम्बर/31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले त्रैमासों के लिये अगले माह के 15 तारीख तथा इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये। मुख्यालय पर संधारित किये जाने हेतू जानकारी **प्रपत्र EN-4** एवं **EN-4 (अ)** में मुख्यालय को प्रेषित किया जाये ।

संलग्न :–

1. परिशिष्ट–1
2. प्रपत्र **EN-1** से **EN-4**
3. प्रपत्र **EN-1 (अ)** से **EN-4 (अ)**
4. प्रपत्र एक्सल फार्मेट में ई मेल से

21/3/17

(डा.अतुल कुमार श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल

पृ0 कमांक/वन अपराध/2017/1024 भोपाल, दिनांक 21/03/2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन्य प्राणी) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) म0प्र0 भोपाल को वन सुरक्षा के अंतर्गत **''अतिकमण निरोधी अभियान''** के संबंधी जारी निर्देश को कार्य आयोजना निर्माण के समय अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने बाबत् आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म0प्र0 भोपाल की ओर वन सुरक्षा के अंतर्गत **''अतिकमण निरोधी अभियान''** के संबंधी जारी निर्देश के बिन्दु कमांक 7 एवं 9 में की जाने वाली कार्यवाही के संबध में क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु अग्रेषित।
5. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी), मण्डल प्रबंधक, परियोजना मण्डल वन विकास निगम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

21/3/17

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल

अतिक्रमण निरोधी अभियान

प्रपत्र –E N 1 अतिक्रमण की स्थिति : वर्ष 2017. √31 मार्च / 30जून / 30 सितम्बर / 31 दिसम्बर की स्थिति में

परिक्षेत्र का नाम ....

बीट का नाम	कक्ष कमांक	कक्ष का रकबा (हेक्ट.)	अतिकामक वर्ग	कुल अतिकमण (31 / 03 / 2017 की स्थिति में)		अतिकामक जिनको 31 / 03 / 2017 की स्थिति में वनाधिकार पत्र दिया गया		24 / 10 / 1980 के पूर्व के पात्र अतिकामक (वन अधिकार पत्र प्राप्त नही)		31.03.2017 की स्थिति में अतिकामक जिनके प्रकरण वन अधिकार समिति के पास लंबित हैं		31 / 03 / 2017 की स्थिति में अपात्र अतिकामक जिनको बेदखल किया जाना है	
				अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या (5–7–9–11)	रकबा (हेक्ट.) (6–8–10–12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ए			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			I योग										
"ए"बीट के कक्षों का गोशवारा			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
बी			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
"बी"बीट के कक्षों का योग			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
परिक्षेत्र के सभी बीटों का योग			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										

नोट :– प्रपत्र भरते समय ज्ञापन के अतिकमण निरोधी अभियान खण्ड के अनु.1(A) में उल्लेखित सावधानी संबंधी निर्देशो **को मलीभाँति पढ़े ।**

(हस्ताक्षर)

परिक्षेत्र अधिकारी का नाम

आतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जावे। जिला स्तरीय टास्कफोर्स की समीक्षा प्रत्येक बैठक में

अतिक्रमण निरोधी अभियान

प्रपत्र –E N 2 अतिक्रमण की स्थिति : वर्ष 2017. √31 मार्च/30जून/30 सितम्बर/31 दिसम्बर की स्थिति में

वनमण्डल/ राष्ट्रीय उद्यान/परियोजना मण्डल का नाम ....

परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	बीट का रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामक वर्ग	कुल अतिक्रमण (31/03/2017 की स्थिति में)		अतिक्रामक जिनको 31/03/2017 की स्थिति में वनाधिकार पत्र दिया गया		24/10/1980 के पूर्व के पात्र अतिक्रामक (वन अधिकार पत्र प्राप्त नहीं)		31.03.2017 की स्थिति में अतिक्रामक जिनके प्रकरण वन अधिकार समिति के पास लंबित हैं		31/03/2017 की स्थिति में अपात्र अतिक्रामक जिनको बेदखल किया जाना है	
				अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या (5–7–9–11)	रकबा (हेक्ट.) (6–8–10–12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	ए.		आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
	बी.		आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
X परिक्षेत्र की बीटों का योग			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
Y	सी.		आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
	डी.		आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
Y परिक्षेत्र की बीटों का योग			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
वन वृत्तण्डल/रा0उ0/परियोजना मण्डल का योग			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										

नोट :– प्रपत्र भरते समय ज्ञापन के अतिक्रमण निरोधी अभियान खण्ड के अनु.1(A) में उल्लेखित सावधानी संबंधी निर्देशो को भलीभॉति पढे ।

हस्ताक्षर

वनमण्डलाधिकारी/क्षेत्र संचालक का नाम

अतिक्रमण निरोधी अभियान

प्रपत्र –E N 3 अतिक्रमण की स्थिति: वर्ष 2017. √31 मार्च/30जून/30 सितम्बर/31 दिसम्बर की स्थिति में

वन वृत्त **का नाम** ....

वन मण्डल नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का वन क्षेत्र (हेक्ट.)	अतिक्रामक वर्ग	कुल अतिक्रमण (31/03/2017 की स्थिति में)		अतिक्रामक जिनको 31/03/2017 की स्थिति में वनाधिकार पत्र दिया गया		24/10/1980 के पूर्व के पात्र अतिक्रामक (वन अधिकार पत्र प्राप्त नहीं)		31.03.2017 की स्थिति में अतिक्रामक जिनके प्रकरण वन अधिकार समिति के पास लंबित हैं		31/03/2017 की स्थिति में अपात्र अतिक्रामक जिनको बेदखल किया जाना है	
				अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या (5–7–9–11)	रकबा (हेक्ट.) (6–8–10–12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क.	X		आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
	Y		आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
क. वन मण्डल के परिक्षेत्रों का योग			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
ख.	X		आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
	Y		आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
ख. वन मण्डल के परिक्षेत्रों का योग			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
वन वृत्त /क्षेत्रीय महाप्रबंधक इकाई का योग			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										

नोट :– प्रपत्र भरते समय ज्ञापन के अतिक्रमण निरोधी अभियान खण्ड के अनु.1(A) में उल्लेखित सावधानी संबंधी निर्देशो को भलीभाँति पढे ।

(हस्ताक्षर)

मुख्य वन संरक्षक का नाम/क्षेत्रीय महाप्रबंधक , वन विकास निगम

अतिक्रमण निरोधी अभियान

प्रपत्र –E N 4 अतिक्रमण की स्थिति : वर्ष 2017 √31 मार्च/30जून/30 सितम्बर/31 दिसम्बर की स्थिति में

वन वृत्त का नाम ....

वृत्त /रा0उ0 का नाम	वनमण्डल का नाम	वनमण्डल का वन क्षेत्र (हेक्ट.)	अतिक्रामक वर्ग	कुल अतिक्रमण (31/03/2017 की स्थिति में)		अतिक्रामक जिनको 31/03/2017 की स्थिति में वनाधिकार पत्र दिया गया		24/10/1980 के पूर्व के पात्र अतिक्रामक (वन अधिकार पत्र प्राप्त नही)		31.03.2017 की स्थिति में अतिक्रामक जिनके प्रकरण वन अधिकार समिति के पास लंबित है		31/03/2017 की स्थिति में अपात्र अतिक्रामक जिनको बेदखल किया जाना है	
				अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या (5–7–9–11)	रकबा (हेक्ट.) (6–8–10–12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4										
क.	X		आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
	Y		आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										
वन वृत्त /क्षेत्रीय महाप्रबंधक इकाई का योग			आदिवासी										
			गैर आदिवासी										
			योग										

नोट :– प्रपत्र भरते समय ज्ञापन के अतिक्रमण निरोधी अभियान खण्ड के अनु.1(**B**) में उल्लेखित सावधानी संबंधी निर्देशो को भलीभाँति पढ़े ।

(हस्ताक्षर)

मुख्य वन संरक्षक का नाम /क्षेत्रीय महाप्रबंधक वन विकास निगम

अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जावे।

अतिक्रमण निरोधी अभियान

प्रपत्र –E N 1 (अ)–अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कार्यवाही की प्रगतिः वर्ष 2017. 31 मार्च / √30जून / 30 सितम्बर / 31 दिसम्बर की स्थिति में

परिक्षेत्र का नाम ....

बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष का रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामक वर्ग	31/03/2017 की स्थिति मे अपात्र अतिक्रामक जिनको बेदखल किया जाना है। (देखे 31 मार्च की स्थिति में EN-1 का कालम 13 एव 14)		अतिक्रमण प्रकरणों जिनमे धारा 80अ के अंतर्गत सुनवाई हेतू नोटिस जारी किया		अतिक्रमण प्रकरणों जिसमे बेदखली आदेश पारित किया गया		अतिक्रमण प्रकरणों जिनको त्रैमास मे बेदखल किया गया		त्रैमास मे हुये नये अतिक्रमण		त्रैमास के अंत मे (30/06/2017) की स्थिति में बेदखली हेतु शेष	
				अतिकामकों की संख्या	रकबा हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या (5+3–11)	रकबा (हेक्ट.) (6+4–12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ए	1		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
	2		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
"ए"बीट के कक्षों का योग			आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
बी	1		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			कक्ष का योग												
	2		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
"बी"बीट के कक्षों का योग			आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
परिक्षेत्र के सभी बीटों का योग			आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												

नोट :– प्रपत्र भरते समय ज्ञापन के अतिक्रमण निरोधी अभियान खण्ड के अनु.1(B) में उल्लेखित सावधानी संबंधी निर्देशो को भलीभॉति पढे ।

(हस्ताक्षर)

परिक्षेत्र अधिकारी का नाम

अतिक्रमण निरोधी अभियान

प्रपत्र –E N 2 (अ)– अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कार्यवाही की प्रगतिः वर्ष 2017. 31 मार्च/√30जून/30 सितम्बर/31 दिसम्बर की स्थिति में

वनमण्डल/ राष्ट्रीय उद्यान/परियोजना मण्डल का नाम ....

परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	बीट का रकबा (हेक्ट.)	अतिकामक वर्ग	31/03/2017 की स्थिति मे अपात्र अतिकामक जिनको बेदखल किया जाना है। (देखे 31 मार्च की स्थिति मे EN-1 का कालम 13 एव 14)		अतिक्रमण प्रकरणों जिनमे धारा 80अ के अंतर्गत सुनवाई हेतू नोटिस जारी किया		अतिक्रमण प्रकरणों जिसमे बेदखली आदेश पारित किया गया		अतिक्रमण प्रकरणों जिनकों त्रैमास मे बेदखल किया गया		त्रैमास मे हुये नये अतिक्रमण		त्रैमास के अंत में (30/06/2017) की स्थिति में बेदखली हेतु शेष	
				अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या (5+3−11)	रकबा (हेक्ट) (6+4−12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	ए.		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
	बी.		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
X परिक्षेत्र की बीटों का योग			आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
Y	सी.		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
	डी.		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
Y परिक्षेत्र की बीटों का योग			आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
वनमण्डल/रा0उ0/ परियोजना मण्डल का योग			आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												

नोट :– प्रपत्र भरते समय ज्ञापन के अतिक्रमण निरोधी अभियान खण्ड के अनु.1(B) में उल्लेखित सावधानी संबंधी निर्देशो को भलीभाँति पढ़े ।

(हस्ताक्षर)

वनमण्डलाधिकारी/क्षेत्र संचालक/डिवीजनल मेनेजर का नाम

अतिक्रमण निरोधी अभियान

प्रपत्र –E N 3 (अ)– अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कार्यवाही की प्रगतिः वर्ष 2017. 31 मार्च / √30जून / 30 सितम्बर / 31 दिसम्बर की स्थिति में

.न वृत्त / क्षेत्रीय महाप्रबंधक इकाई का नाम ....

वन मण्डल नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का वन क्षेत्र (हेक्ट.)	अतिक्रामक वर्ग	31/03/2017 की स्थिति में अपात्र अतिक्रामक जिनको बेदखल किया जाना है। (देखे 31 मार्च की स्थिति में EN-1 का कालम 13एवं 14)		अतिक्रमण प्रकरणों जिनमे धारा 80अ के अंतर्गत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया		अतिक्रमण प्रकरणों जिसमे बेदखली आदेश पारित किया गया		अतिक्रमण प्रकरणों जिनकों त्रैमास मे बेदखल किया गया		त्रैमास मे हुये नये अतिक्रमण		त्रैमास के अंत में (30/06/2017) की स्थिति में बेदखली हेतु शेष	
				अतिकामकों की सख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिकामकों की संख्या (5+3–11)	रकबा (हेक्ट.) (6+4–12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क.	X		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
	Y		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
क. वन मण्डल के परिक्षेत्रों का योग			आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
ख.	X		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
	Y		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
ख. वन मण्डल के परिक्षेत्रों का योग			आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
वन वृत्त /क्षेत्रीय महाप्रबंधक इकाई का योग			आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												

नोट :– प्रपत्र भरते समय ज्ञापन के अतिक्रमण निरोधी अभियान खण्ड के अनु.1(B) में उल्लेखित सावधानी संबंधी निर्देशो को भलीभॉति पढ़े ।

(हस्ताक्षर)

मुख्य वन संरक्षक का नाम /क्षेत्रीय महाप्रबंधक वन विकास निगम

अतिक्रमण निरोधी अभियान

प्रपत्र –E N 4 (अ)– अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कार्यवाही की प्रगतिःवर्ष 2017. 31 मार्च/√30जून/30 सितम्बर/31 दिसम्बर की स्थितिं में

वन वृत्त का नाम

वृत्त / रा०उ० का नाम	वनमण्डल का नाम	वनमण्डल का वन क्षेत्र (हेक्ट.)	अतिक्रामक वर्ग	31/03/2017 की स्थिति में अपात्र अतिक्रामक जिनको बेदखल किया जाना है। (देखे 31 मार्च की स्थिति में EN-1 का कालम 13एवं 14)		अतिक्रमण प्रकरणों जिनमे धारा 80अ के अंतर्गत सुनवाई हेतू नोटिस जारी किया		अतिक्रमण प्रकरणों जिसमे बेदखली आदेश पारित किया गया		अतिक्रमण प्रकरणों जिनको त्रैमास मे बेदखल किया गया		त्रैमास मे हुये नये अतिक्रमण		त्रैमास के अंत में (30/06/2017) की स्थिति में बेदखली हेतु शेष	
				अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या	रकबा (हेक्ट.)	अतिक्रामकों की संख्या (5+3–11)	रकबा (हेक्ट.) (6+4–12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क.	X		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
	Y		आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												
क. वृत्त के वन मण्डलों का योग			आदिवासी												
			गैर आदिवासी												
			योग												

नोट :– प्रपत्र भरते समय ज्ञापन के अतिकमण निरोधी अमियान खण्ड के अनु.1(B) में उल्लेखित सावधानी संबंधी निर्देशो को भलीभॉति पढ़े ।

(हस्ताक्षर)

मुख्य वन संरक्षक का नाम /क्षेत्रीय महाप्रबंधक वन विकास निगम